

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ. 1574(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 8.08.2005 की अधिसूचना सं. का. आ. 1111(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "इंडिया रैनल फाउंडेशन, 60-61, ए विंग, नोबेल्स, नेहरू ब्रिज के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009" द्वारा "जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से गुर्दे बीमारियों की रोक-थाम करने" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-06 को आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 14 पर अधिसूचित किया था ; जिसे बाद में दिनांक 18.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 765(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से आरंभ होने वाले तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 27.04.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 875(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाले तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था ।

और जबकि दिनांक 27.04.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 875 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 34.02 लाख रुपए से 101.33 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें अवर्ती व्यय के अलावा वाहन की लागत भी शामिल है ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "इंडिया रैनल फाउंडेशन, 60-61, ए विंग, नोबेल्स, नेहरू ब्रिज के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009" द्वारा चलाई जा रही "जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से गुर्दे बीमारियों की रोक-थाम करने" की परियोजना अथवा स्कीम को 101.33 लाख रुपए, जिसमें अवर्ती व्यय के अलावा वाहन की लागत सहित अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है । चूँकि वित्तीय वर्ष 2014-15 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

[सं.144 /2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ (रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)